121

।। श्री गणेशाय नमः ।।

9061/07

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 662J24

STAMP SEAL 18 JUL 2007 STAMP SEAL

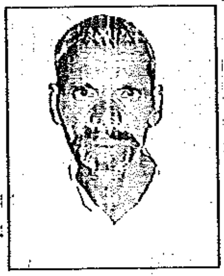

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मोहल्ला/ग्राम....मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 2.2105 हैक्टेयर सम्पूर्णअंश
4. सम्पत्ति का प्रकार :–कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं
6. बोरिंग/कुंआ/अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 6552000/–रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत6552000/–रूपये
9. स्टाम्प देय गाटा संख्या–442 मि0 की भूमि मालियत 6492706/–स्टाम्प मुक्त है व गाटा संख्या–493 मि0 व 494 मि0 की भूमि क्षेत्रफल 0.020 हैक्टेयर की मालियत 59294/–रूपये पर स्टाम्प अदा किया गया है।
10. सरकारी दर भूमि 600000/––रूपये जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 क्रमांक पर दर्ज है।

121

फ्रैंकिंग स्टाम्प कागज

मुरारी लाल शर्मा

रजिस्ट्री

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. R$500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(2)

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम
विक्रेता की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण
सौदान पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)
क्रेता का विवरण
सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लेस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

सौदान

विक्रय पत्र

6,552,000.00/ **6,552,000.00** 5,000.00 20 5,020.00 0 1000 2007

प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री /श्रीमती सौदान

पुत्र / पत्नी श्री हीरालाल

पेशा कृषि

निवासी स्थायी जैंत मथुरा

अस्थायी पता जैंत मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 25/7/2007 समय 6:55PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त 25/7/2007

विक्रेता

श्री/श्रीमती सौदान

पुत्र/पत्नी श्री हीरालाल

पेशा कृषि

निवासी जैंत मथुरा

क्रेता

श्री/श्रीमती सनसिटी हाईटेक प्रा0 लि0 द्वारा कपिल देव उपाध्याय

पुत्र/पत्नी श्री छैल विहारी उपाध्याय

पेशा व्यापार

निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री गोविन्दा

पुत्र श्री हीरालाल

पेशा कृषि

निवासी जैंत मथुरा

व श्री भगमाल सिंह

पुत्र श्री हीरा लाल

पेशा कृषि

निवासी जैंत मथुरा

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
25/7/2007

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs.500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(3)

मैं कि सौदान पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा का हूं।

जो कि कृषि भूमि भूमिधरी आकार पत्र 23 के अनुसार चक संख्या–464 व गाटा संख्या–442 मि0 रकबा 2.459 हैक्टेयर लगानी 52.67 रूपया जिसके अपने आधे भाग में से विक्रेता रकवा 0.253 हैक्टेयर भूमि बेच चुका है, में विक्रेता की भूमि रकवा 0.9765 हैक्टेयर व चक संख्या–1143 व गाटा संख्या–442 मि0 रकवा 1.214 है0 व 493 मि0 रकवा 0.010 है0 व 494 मि0 रकवा 0.010 है0 कुल 3 किता रकवा 1.234 है0 सम्पूर्ण रकवा चक कुल दोनों चकों की भूमि रकवा 2.2105 हैक्टेयर स्थित ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता है जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जो जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतयाः मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा वै किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की विक्रेता की मिल्कियत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचराधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों ऋणों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु

विक्रेता

Year : 2007

Book No. 6 JUL, 2007

Registration No 9061

0101 सौदान

हीरालाल

जैंत मथुरा

कृषि

या कारण है जो विक्रेतो के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रूपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता का सरासर लाभ है, अतः उक्त भूमि यानी अपने सम्पूर्ण अंश भूमि चक संख्या–464 व चक संख्या–1143 को को समस्त अधिकारों सहित जो उनकी बावत विक्रेता को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विकेताओं ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ वएवज 6552000/–पैंसठ लाख बावन हंजार रूपये जिसके आधे 3276000/–बत्तीस लाख छियत्तर हजार रूपये होते हैं। बहक सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा को बै कतई कर दी व बेच दी और मूल्य का कुल रूपया खरीदार से एच0डी0एफ0सी0 बैंक के चैक संख्या–659624 दिनांक–25.7.2007 तादादी 2193000/–रूपये व इसी बैंक के चैक संख्या–659625 दिनांक–25.9.2007 तादादी 4259000/–रूपये व 100000/–रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा पाया इस प्रकार मूल्य का कुल 6552000/–रूपये केता से प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का

श्रीदाक

क्रेता

Registration No. 9061 Year : 2007 Book No. 1

0201 **सनसिटी हाईटेक प्रा0 लि0 द्वारा कपिल देव उपाध्याय**

छैल विहारी उपाध्याय

गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा

व्यापार

वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बावत वह कुल अधिकारात मालकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावें और उसका खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता या उनके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बावत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जायें और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हरब जाब्ता बसूल करलें। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है खसरा नंबर–442 मि0 शासनादेश सं0 6087/8आ–1–2003–04 दिनांक–22.11.2003 व अधिसूचना सं0 क0नि0 5–2915/ग्यारह–2004–2004–600 (87)–2001 दि0 9.7.2004 संशोधित सं0 क0नि0 5–3497/11–2005–500(83)–2005 दिनांक–9.9.2005 से स्टाम्प मुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसमें मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है व खसरा नंबर–493 मि0 व 494 मि0 की भूमि रकवा 0.020 है0 की मालियत 59294/–रूपये पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं। विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

दिनांक–225.7.2007
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा
ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा

सौदान

गवाह !-

गोविन्दा S/o हीरालाल
ग्राम जैंत
पो० व जिला- मथुरा

भगवान सिंह
S/o हीरालाल
ग्राम- जैंत

आज दिनांक **25/07/2007** को

वही सं **1** जिल्द सं **4468**

पृष्ठ सं. **173** से **184** पर कमांक **9061**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

मथुरा

25/7/2007

[illegible]
[illegible] — 1192 मि., 1193 मि. [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
1192 मि.
1193
[illegible]
2.7.1987

[illegible]